



सीमाशुल्क आयुक्त (जनरल) कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS (GEN)
सीमाशुल्क मुंबई जोन II, जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क भवन,
MUMBAI CUSTOMS, ZONE II, JAWAHARLAL NEHRU CUSTOM HOUSE,
न्हावा शेवा, उरण, जिला रायगढ / NHAVA SHEVA, URAN, DIST RAIGAD – 400707

F No: S5/जनरल -01/2015 हिन्दी

दिनांक : 11.07.2018

:- परिपत्र / CIRCULAR :-

विषय : द्विभाषीकरण हेतु ई-मेल के माध्यम से हिन्दी अनुभाग को कागजातों का प्रेषण-संबन्धित ।

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले कागजातों (जैसे - सामान्य आदेश, परिपत्र, रिपोर्ट, लाइसेंस, प्रेस विज्ञप्ति, निविदा सूचनाएँ, नियम, अधिसूचना, संसदीय रिपोर्ट आदि) को आवश्यक रूप से हिन्दी एवं अङ्ग्रेजी द्विभाषी प्रारूप में जारी किया जाना है ।

दिनांक 11.04.2018 को सम्पन्न राजभाषा कार्यान्वयन समिति (OLIC) की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सभी अनुभाग उक्त कागजातों को त्वरित द्विभाषी रूप में तैयार करवाने के लिए हिन्दी अनुभाग को ई-मेल के माध्यम से अङ्ग्रेजी में बना अनुमोदित ड्राफ्ट प्रेषित करें एवं अनुभाग को इस बारे में सूचित करें । इस संबंध में वरिष्ठ अनुवादक से ईमेल आईडी jnchhindi@gmail.com दूरभाष संख्या : 022-27244818, 7738538018 से संपर्क किया जा सकता है ताकि त्वरित गति से अनुवाद का कार्य किया जा सके और नियमानुसार उक्त कागजातों का द्विभाषी स्वरूप ही जारी किया जा सके ।

संजय पाण्डेय -
11.07.18

(एस.के.पाण्डेय)

सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क

प्रतिलिपि/Copy to,

सभी अनुभाग- एन एस -जनरल, एन एस-I, एन एस-II, एन एस-III, एन एस-IV, एन एस-V आयुक्तालय